its operations as the company could not achieve the targeted levels of production, sales and profitability in the year 1994-95. Subsequently on direction from BIFR, IDBI conducted a fresh techno-economic appraisal of the IDPL and concluded that, as it is, IDPL is not viable. The Group of Ministers while considering this ordered that IDPL prepare a proposal in consultation with Unions and Workers. The Rehabilitation proposal now submitted by IDPL after discussion with workers/employees' Unions is under consideration. The proposal with reference to cut off date as 30.09.1998 carries the financial implication to the tune of Rs. 2010.12 crore involving a direct cash outgo of Rs. 646.96 crore together with the component of sacrifices of Rs. 638.97 crore and write off of losses of Rs. 674.68 crore. The representations received from the workers are bing due consideration.

(c) The employees/workers have been paid salary upto the month of January, 1999 and provisions have been kept for the payment of their salary for the month of February, 1999.

पेट्रो-केमिकल्स संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट

1091. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डा० राकेश मोहन की अध्यक्षता वाले पेट्रो-केमिकल्स संबंधी विशेषज्ञ-दल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन बिक्री अथवा संदर्भ हेतु उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) जी हां।

(ख) प्रशुल्क पुनर्गठन से संबंधित पेट्रो-रसायन विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए।)

(ग) और (घ) रिपोर्ट पेट्रो-केमिकल्स डाटा सर्विसेज (पी० डी० एस०), पेट्रो-केमिकल्स टाउनशिप, जिला-बड़ौदा, गुजरात, जो कि इच्छुक पार्टियों को बिक्री के लिए सरकार द्वारा नियंत्रित एक संस्थान है, के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

विवरण

(1) आयात शुल्क, तैयार माल पर उच्चतर प्रशुल्क सहित मूल्य ऋंखला के साथ अत्यल्प वार्धित प्रशुल्क, मूल्य वर्धित (वैल्यू एडिशन) चरण परंतु समग्रतः कम्पोस्ड प्रशुल्क ढांचे के आधार पर लगाया जाना चाहिए।

(2) पालीमरों और रसायनों पर आयात शुल्क 1997-98 तक क्रमशः 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत तक कम होनी चाहिए।

(3) फाइवर मध्यवर्तियों पर आयात शुल्क टर्मिनल वर्ष 1997-98 में कम करके 25 प्रतिशत तक किया जाए।

(4) फाइवर पर आयात शुल्क टर्मिनल वर्ष 1997-98 में कम करके 30 प्रतिशत तक किया जाए।

(5) 1997-98 तक बिल्डिंग ब्लाक पर आयात शुल्क कम करके 10 प्रतिशत, इन्टरमीडिया बिल्डिंग ब्लाक दर 15 प्रतिशत और फीड स्टाक पर शून्य प्रतिशत तक लाया जाए।

(6) ज़ाइलीन, पाराफिन्स, और फाइवर हेडेन जैसे मध्यवर्तियों के संबंध में टर्मिनल वर्ष में शुल्क कम करके 20 प्रतिशत किया जाए।

(7) आबकारी शुल्क चरणबद्ध रूप में 0% से 22% के बीच लाया जाए।

(8) एंटि-डम्पिंग उपायों को सुदृढ़ किया जाए और इस संबंध में एंटि-डंपिंग विधान की सिफारिश की जाती है।

(9) काउंटरवेलिंग शुल्क पर विचार किया जाए या इन देशों में निर्यात पर अधिक निर्यात सब्सिडी का भार और बिक्री कर और अन्य घरेलू अप्रत्यक्ष कर पर विचार किया जाए।

(10) मूल्य वर्धित कर (वी०ए०टी०) की ओर से अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू करने की सिफारिश की जाती है।

2. प्रशुल्क घटाने से संबंधित विशेषज्ञ दल की संस्तुतियां निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अधीन थी:—

(1) स्वदेशी फीडस्टाक अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर उपलब्ध की जाए।

(2) पूंजीगत मालों पर कर 10 प्रतिशत तक कम किया जाए।

(3) उत्प्रेरकों, रसायनों और जुड़नारों जिनका प्रयोग उद्योगों द्वारा उपभोक्ता वस्तु के रूप में किया जाता है, को 10 प्रतिशत किया जाए।

(4) सी०वी०डी० को स्वदेशी उत्पादन पर स्थानीय करों तथा हानियों को समाप्त करना चाहिए। इसकी भरपाई करने के लिए बिक्री कर पर सरचार्ज को सी०वी०डी० में शामिल किया जाना चाहिए।

(5) कीमतों में सरलता लाने के लिए वर्तमान विश्वव्यापी ओवर बिल्ट क्षमता को मद्दे नजर रखते हुए कम बड़े पैमाने पर आयात शुल्क घटाने की अपेक्षा इसे धीरे-धीरे और चरणबद्ध रूप से घटाना आवश्यक है।

(6) प्रशुल्कों को कम करना, गतिशील अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रत्युत्तर में गतिशील प्रणाली तैयार की जाए।

(7) स्वदेशी मांग को बढ़ाने और आवश्यक सामग्रियों जैसे लकड़ी, चर्म और धातु आदि का संरक्षण करने के लिए पेट्रो-रसायनों, जो कि इन वस्तुओं का विकल्प है, पर चरणबद्ध रूप में कम किया जाना चाहिए।

(8) एशिया प्रशान्त क्षेत्र में अधिक क्षमता के कारण डम्पिंग संभव है और वर्तमान एंटि-डम्पिंग विधान देश में "इन्जयोर्ड" पर डम्पिंग उपलब्ध कराने का दायित्व है। अतः शुल्क कम करने, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रति उत्तर में गतिशील प्रणाली तैयार की जाए।

उर्वरकों का उत्पादन और मांग

1092. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में यूरिया और अन्य रसायनिक उर्वरकों का उत्पादन, खपत और मांग कितनी-कितनी है;

(ख) 1996-97 और 1997-98 के दौरान राजस्थान में उक्त उर्वरकों का कुल उत्पादन कितना-कितना था;

(ग) सरकार उर्वरकों की मांग तथा आपूर्ति में समुचित संतुलन कायम करने के लिए इनका उत्पादन बढ़ाने तथा इनकी कीमतें नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) सरकार जैविक खाद को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय कर रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान देश में यूरिया तथा अन्य उर्वरकों की खपत के रूप में उत्पादन व मांग के साथ-साथ वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान राजस्थान में उर्वरकों का कुल उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) यूरिया का बिक्री मूल्य सरकार द्वारा सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार किसानों को नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित किये गये निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य पर की जाती है। तदनुसार निर्माताओं/आयातकर्त्ताओं को सब्सिडी/रियायत का भुगतान किया जाता है ताकि वे सरकार द्वारा निर्धारित किये गये वहनीय मूल्य पर किसानों को उर्वरकों की बिक्री करने में समर्थ हो सके। सब्सिडी पद्धति के माध्यम से एक ओर किसानों को उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि से बचाया जाता है, वहीं दूसरी ओर निर्माण/आयातकर्त्ता को उस कम मूल्य के लिये मुआवजा दिया जाता है जिसपर उससे किसानों को इन उर्वरकों को बेचने की अपेक्षा की जाती है।

नये संयंत्र की स्थापना/मौजूदा एककों का आधुनिकीकरण करने के लिये पूंजीगत माल के आयात के लिये रियायती शुल्क, उर्वरक परियोजनाओं के पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को कतिपय शर्तों के साथ निर्यात सम्भावित लाभ और उर्वरक कच्चे माल व मध्यवर्तियों के आयात पर रियायती शुल्क उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि के लिये दिये जाने वाले अन्य प्रोत्साहन हैं।

(घ) भारत सरकार ने "उर्वरकों के सन्तुलित और एकीकृत उपयोग" की योजना के तहत कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना करने के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3.90 करोड़ रु० की सीमा तक अनुदान दिया है। पोषकों के इन स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिये किसानों के खेतों में प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं।